रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122022-241213 CG-DL-E-19122022-241213

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5680] No. 5680] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2022/ अग्रहायण 25, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 16, 2022/AGRAHAYANA 25, 1944

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

का.आ 5916(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4764(अ) तारीख अक्तूबर 03,2022 जो क्रमशः भारत के असाधारण राजपत्र तारीख अक्तूबर 07,2022 मे प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में बरौनी – गुवाहाटी पाइप लाइन (बी जी पी एल) के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है:

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनें बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

8448 GI/2022 (1)

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

## बरौनी & गुवाहाटी पाइप लाइन परियोजना अनुसूची

### राज्य & पश्चिम बंगाल

_				~ .	क्षेत्रफल		
जिला	थाना	मौजा	थाना नं	सर्वे नं	हेक्टेअ	र&आर&	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6		
जलपाईगुरी	राजगंज	बिनागुरी २०	ą	405	00	05	26
				403	00	05	68
				398	00	00	10
जलपाईगुरी	राजगंज	बिनागुरी १६	Ą	1	00	11	66
				272	00	30	42
				274	00	27	62
जलपाईगुरी	राजगंज	बिनागुरी १७	n	269	00	07	58
				268	00	00	10
				270	00	03	44
				267	00	04	96
				264	00	00	10
				263	00	27	63
				266	00	66	70
				274	00	07	65
				273	00	06	11
				279	00	02	63
				281	00	03	10
				282	00	13	06
जलपाईगुरी	राजगंज	बिनागुरी १३	Ą	71	00	00	94
				73	00	11	67
				77	00	05	60
				68	00	00	63

				69	00	02	88
				70	00	03	64
				88	00	11	28
जलपाईगुरी	राजगंज	बिनागुरी १२	3	901	00	12	24
				902	00	08	56
				903	00	00	62
				904	00	09	16
				905	00	09	81
				913	00	02	84
				914	00	21	40
				917	00	33	88
				918	00	11	07
				919	00	06	20
				920	00	04	18
जलपाईगुरी	राजगंज	गढ़िया गंज ०१	२३	1136	00	05	19
				1135	00	05	02
				1129	00	00	57
				1129	00	02	57
1	2	3	4	5	00	6	57
1	2	3	4		00	I.	08
1	2	3	4	5		6	
1	2	3	4	5 1138	00	6 01	08
1	2	3	4	5 1138 1140	00	6 01 00	08 44
1	2	3	4	5 1138 1140 1128	00 00 00	6 01 00 04	08 44 12
1	2	3	4	5 1138 1140 1128 1127	00 00 00 00	6 01 00 04 06	08 44 12 06
1	2	3	4	5 1138 1140 1128 1127 1134	00 00 00 00 00	6 01 00 04 06 04	08 44 12 06 62
1	2	3	4	5 1138 1140 1128 1127 1134 1133	00 00 00 00 00 00	6 01 00 04 06 04 04	08 44 12 06 62 99
1	2	3	4	5 1138 1140 1128 1127 1134 1133 1124	00 00 00 00 00 00	6 01 00 04 06 04 04 00	08 44 12 06 62 99 03
1	2	3	4	5 1138 1140 1128 1127 1134 1133 1124 1121	00 00 00 00 00 00 00	6 01 00 04 06 04 04 00	08 44 12 06 62 99 03 24
1	2	3	4	5 1138 1140 1128 1127 1134 1133 1124 1121 1132	00 00 00 00 00 00 00	6 01 00 04 06 04 04 00 05	08 44 12 06 62 99 03 24 16
1	2	3	4	5 1138 1140 1128 1127 1134 1133 1124 1121 1132 1123	00 00 00 00 00 00 00 00	6 01 00 04 06 04 00 05 05	08 44 12 06 62 99 03 24 16 82
1	2	3	4	5 1138 1140 1128 1127 1134 1133 1124 1121 1132 1123 1122	00 00 00 00 00 00 00 00 00	6 01 00 04 06 04 00 05 05 09 10	08 44 12 06 62 99 03 24 16 82 42
1	2	3	4	5 1138 1140 1128 1127 1134 1133 1124 1121 1132 1123 1122 1119	00 00 00 00 00 00 00 00 00	6 01 00 04 06 04 00 05 05 09 10 07	08 44 12 06 62 99 03 24 16 82 42 05
1	2	3	4	5 1138 1140 1128 1127 1134 1133 1124 1121 1132 1123 1122 1119 1120	00 00 00 00 00 00 00 00 00	6 01 00 04 06 04 00 05 05 09 10 07	08 44 12 06 62 99 03 24 16 82 42 05 36

[फा. सं. -एल14014/213/2022-जीपी-II (ई-44651)] राकेश मिश्रा, अवर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2022

S.O. 5916(E).—Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas numbers S. O. 4764 (E) dated 03-10-2022 issued under sub- section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated 07-10-2022, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Barauni – Guwahati Pipeline (BGPL) in the State of WEST BENGAL by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed of by the Competent Authority;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL(India) Limited, free from all encumbrances.

# BARAUNI - GUWAHATI PIPELINE PROJECT SCHEDULE

State: West Bengal

District	TDI.	¥7*11	II N.	Survey No.	Area		
District	Thana	Village	JL No.		Hect.	- Are	- Sq. mtr.
1	2	3	4	5		6	
Jalpaiguri	Rajganj	Binaguri(20)	03	405	00	05	26
				403	00	05	68
				398	00	00	10
Jalpaiguri	Rajganj	Binaguri(16)	03	1	00	11	66
				272	00	30	42
				274	00	27	62
Jalpaiguri	Rajganj	Binaguri(17)	03	269	00	07	58
				268	00	00	10
				270	00	03	44
				267	00	04	96
				264	00	00	10
				263	00	27	63
				266	00	66	70
				274	00	07	65
				273	00	06	11
				279	00	02	63
				281	00	03	10
				282	00	13	06

		I		I	1	I	
Jalpaiguri	Rajganj	Binaguri(13)	03	71	00	00	94
				73	00	11	67
				77	00	05	60
				68	00	00	63
				69	00	02	88
				70	00	03	64
	<b>T</b>			88	00	11	28
Jalpaiguri	Rajganj	Binaguri(12)	03	901	00	12	24
				902	00	08	56
				903 904	00	00	62 16
				905	00	09	81
				913	00	02	84
				914	00	21	40
				917	00	33	88
				918	00	11	07
				919	00	06	20
				920	00	04	18
Jalpaiguri	Doigoni	Gadheya Ganj_(1)	23	1136	00	05	19
Jaipaiguii	Rajganj	Gadneya Gang_(1)	23	1135	00	05	02
				1129	00	02	57
				1138	00	01	08
				1140	00	00	44
				1128	00	04	12
				1127	00	06	06
				1134	00	04	62
				1133	00	04	99
				1124	00	00	03
				1121	00	05	24
				1132	00	05	16
				1123	00	09	82
				1122	00	10	42
				1119	00	07	05
				1120	00	07	36
				1105	00	06	73
				1130	00	02	43

[F. No. L-14014/213/2022-GP - II (E-44651)] RAKESH MISHRA, Under Secy.